



नैनीताल बैंक

1/8 विराम खंड, भाटिया प्लाजा, पत्रकार पुरम, गोमती नगर, लखनऊ-226010 उत्तर प्रदेश

फोन-0522-2397040 ई-मेल:: gomtinagar@nainitalbank.co.in

सर्फेसी अधिनियम 2002 के तहत ऑनलाइन ई-नीलामी के माध्यम से आस्तियों की बिक्री

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) और 9 के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के

प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण 2002 के तहत आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना

जबकि, अधोहस्ताक्षरी वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग में नैनीताल बैंक लिमिटेड का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते कर्जदारों 1. ए) अताशी सरकार पत्नी स्वर्गीय कृष्ण कुमार एलेहेंस 1. बी) चारु पुत्री स्वर्गीय कृष्ण कुमार एलेहेंस 1. सी) आरती पुत्री स्वर्गीय कृष्ण कुमार एलेहेंस 1. डी) राहुल पुत्र स्वर्गीय कृष्ण कुमार एलेहेंस और गारटर 1. अताशी सरकार पत्नी स्वर्गीय कृष्ण कुमार एलेहेंस से मांग नोटिस दिनांक 12.11.2021 में उल्लिखित राशि रु. 2,37,547.00 (रुपये दो लाख सैंतीस हजार पांच सौ सैंतालीस मात्र) (दिनांक 01.09.2021 से आगे ब्याज और अन्य खर्च) का कथित सूचना की प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने को कहते हुए 12.11.2021 को एक मांग सूचना जारी की थी। जबकि कर्जदार कथित सूचना में मांग सूचना में मांगी गयी राशि का बैंक से पुनर्मुग्तान करने में असफल रहे, अतः बैंक ने कथित नियमों के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में अधोलिखित सम्पत्तियों की बिक्री द्वारा बैंक के बकायों की वसूली का प्रस्ताव करता है। धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने निम्नलिखित संपत्ति की बिक्री से बैंक की बकाया राशि की वसूली का प्रस्ताव रखा है। तदनुसार, एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार एवं जमानती(यों) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूति लेनदार के पास बंधक नीचे वर्णित सम्पत्ति, जिसका भौतिक कब्जा नैनीताल बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा 12.01.2024 को किया गया है, की बिक्री भावी ब्याज, लागत तथा व्ययों सहित नीचे तालिका में वर्णित राशि के लिए नैनीताल बैंक लिमिटेड अर्थात् प्रतिभूत लेनदार के बकायों की वसूली हेतु "जहाँ है जैसे है", "जो है यही है", "जो भी है वही है" तथा "उपचार रहित" आधार पर की जायेगी। एतद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि हम वेबसाइट <https://sarfaesi.auctiontiger.net> के माध्यम से सार्वजनिक - नीलामी संचालित करने जा रहे हैं।

कर्जदार (रों) / जमानती (यों) का नाम तथा पता	सम्पत्ति का विवरण	धारा 13(2) के तहत सूचना की तिथि धारा 13 (4) के तहत कब्जा करने की तिथि तथा कुल बकाया, वसूली को घटाकर, यदि कोई हो	कब्जे की स्थिति	ईएमडी/बिड राशि जमा करने हेतु खाता संख्या	ईएमडी जमा करने की तिथि व समय	सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि व समय	आरक्षित मूल्य
					ई-नीलामी की तिथि व समय		ईएमडी
1. मेसर्स आशीर्वाद एंटरप्राइजेज (प्रोप्राइटरशिप फर्म) पता: एम – II 54, सेक्टर I, जानकीपुरम लखनऊ (उधारकर्ता)	1. प्लॉट नंबर 30 (ए) खसरा नंबर 958 मिन – भरवारा लखनऊ में स्थित 185.874 वर्ग मीटर की आवासीय संपत्ति के समी हिस्से और पारसल श्रीमती कृष्ण कुमार पुत्र गोपाल के नाम पर सब रजिस्ट्रार II लखनऊ के कार्यालय में पुस्तक संख्या 8, खंड संख्या 3570, पृष्ठ संख्या 359 से 372, क्रमांक 3348 पर 26.03.2003 को पंजीकृत किया। पूर्व- प्लाट समिति, पश्चिम- सड़क 25 फीट, उत्तर- प्लाट समिति, दक्षिण- प्लाट समिति।	12.11.2021 12.01.2024	भौतिक	खाता संख्या 0794209200000 25 आइएफएससी कोड: NTBLOLUC079 या नैनीताल बैंक लिमिटेड के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से बैंक की लखनऊ शाखा में जमा किया जाना चाहिए।	ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 28.03.2024 सायं 4.00 बजे तक	27.03.2024 प्रातः 10.00 बजे से 03.00 बजे तक	रु. 17.60 लाख (रुपये सत्रह लाख साठ हजार मात्र) रु. 1.76 लाख (रुपये एक लाख छिहतर हजार मात्र) रु. 0.10 लाख (रुपये दस हजार मात्र)
2. स्वर्गीय कृष्ण कुमार एलेहेंस अब दिवंगत हो गए हैं, जिनका प्रतिनिधित्व 2. ए) अताशी सरकार पत्नी स्वर्गीय कृष्ण कुमार एलेहेंस निवासी एम- II 54, सेक्टर I, जानकीपुरम लखनऊ (मृत उधारकर्ता का कानूनी उत्तराधिकारी)							
2.बी) चारु पुत्री स्वर्गीय कृष्ण कुमार एलेहेंस निवासी एम- II 54, सेक्टर I, जानकीपुरम लखनऊ (मृत उधारकर्ता का कानूनी उत्तराधिकारी)							
2.सी) आरती पुत्री स्वर्गीय कृष्ण कुमार एलेहेंस निवासी एम- II 54, सेक्टर I, जानकीपुरम लखनऊ (मृत उधारकर्ता का कानूनी उत्तराधिकारी)							
2.डी) राहुल पुत्र स्वर्गीय कृष्ण कुमार एलेहेंस निवासी एम- II 54, सेक्टर I, जानकीपुरम लखनऊ (मृत उधारकर्ता का कानूनी उत्तराधिकारी)							
3. अताशी सरकार पत्नी स्वर्गीय कृष्ण कुमार एलेहेंस निवासी एम- II 54, सेक्टर I, जानकीपुरम लखनऊ (गारटर)							

ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही में भाग लेने के लिए नियम एवं शर्तों सहित अधिक विवरण के लिए इच्छुक सभी भागीदारों/बोलीदाताओं से वेबसाइट <https://sarfaesi.auctiontiger.net> तथा www.nainitalbank.co.in (बैंक की साइट) देखने की निवेदन किया जाता है और अधिक जानकारी, नियम एवं शर्तों, ई-नीलामी में भाग लेने की प्रक्रिया के लिए बैंक के सेवा प्रदाता ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, श्री राम प्रसाद, सम्पर्क नम्बर 8000023297 तथा ई-मेल : ramrasad@auctiontiger.net पर सम्पर्क करने की सलाह दी जाती है।

यह प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के तहत कर्जदार/जमानती/बंधककर्ता के लिए सांविधिक 30 दिवसीय बिक्री सूचना है।

दिनांक : 29.02.2024

स्थान : गोमती नगर लखनऊ

प्राधिकृत अधिकारी, दि नैनीताल बैंक लिमिटेड